FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) बायतु

उम्मेदाराम बनाम गंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR नं 225/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरीराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/09/20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 10/11/20 को पेश हों। [initials]	
10/11/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या-1 से 4 व 6 से 25 तथा 27 से 52 के नोटिस तामील व विप्रार्थी संख्या-5 व 26 के नोटिस पर फौत होना लिखा। ... शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी ... होने से मिसल इत्तला ... दिनांक 22/12/20 को पेश हों। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:52 IST
Reason: SelfAttested

22/12/20 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 19/01/21 को पेश हो।

19/01/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 26/04/21 को पेश हो।

26/04/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 06/07/21 को पेश हो।

06/07/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 15/09/21 को पेश हो।

15/09/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या- 5 व 26 की फौतगी सूचना पेश कर विपक्षी संख्या- 5 के कायम मुकाम पूर्व में विपक्षी संख्या- 2 ता 4 रेकर्ड पर है लिहाजा विपक्षी संख्या- 5 का नाम विलोपित किया जावे। व विपक्षी संख्या- 26 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेकर संशोधित टाईटल रेकर्ड पर लिया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या- 5 का नाम प्रति- [illegible] से विलोपित किया जाता है व विपक्षी संख्या- 26 के कायम मुकाम व संशोधित टाईटल [illegible] विपक्षी संख्या- 1 से 4 व 6 से 25 तथा 27 से [illegible] रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या- 26 के कायम [illegible] 26/1 व 26/2 के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया गया। नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक- 14/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:52 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-26/1 व 26/2 के नोटिस की तामील पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।	
10/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत सिगोडिया में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि सेढा-सेढ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो माढे व कोर आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढों का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढों का ज्ञान करने हेतु पक्की पैमाबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाबन्दी आदेश किये जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर [illegible] आदेश दिया जाता है कि [illegible] अधिनस्थ किसी भी [illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेतों [illegible] मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1310

दिनांकः– 22/11/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. उम्मेदाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 4
जाति जाट, निवासी जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. गंगाराम पुत्र आदूराम वगैरा 52
जाति जाट , नि. जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 225 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लीलाला, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 206 रकबा क्रमशः 5.4122 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1311 to 1315

दिनांकः– 22/11/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री उम्मेदाराम पुत्र निम्बाराम वगैरा 4
4 विप्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र आदूराम वगैरा 52
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:52 IST
Reason: SelfAttested